राजकुमार बनाम गिरधारी वगै

04–10–2024

अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसके उपयोग व उपभोग का पूर्ण अधिकार हासिल है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एकतरफा तौर पर आराजी जैर के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई है। चूंकि अपीलांट वादगत भूमि का संयुक्त खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट अराजी जैर का संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा विधि का भी यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को असिमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना व मौके पर कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि एकतरफा तौर पर पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण अपीलांटस् को उसकी भूमि के उपयोग व उपभोग से अनावश्यक रूप से वंचित होना पड़ रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में पक्षकार स्थापित किया है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है और ना ही अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर सुना गया है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–04–2022 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड यथा जमाबंदी का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट वादगत भूमि का संयुक्त खातेदार होने के कारण प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में जहां तक स्थगन प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील ज्ञापन में वर्णित भूमि के बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–04–2022 की पालना स्थगित किये जाने की इस्तदुआ की गई है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरटीए के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित आते हुए व बहस करते हुए प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निस्तारण करवाये जाने के स्थान पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित कराने की चेष्टा की गई है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। चूंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड यथा जमाबन्दी के अनुसार अराजी जैर का संयुक्त खातेदार है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 172/2021 बउनवानी गिरधारी बनाम तीजा में अपीलांट को पक्षकार स्थापित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर विस्तृत निर्णय पारित करे। अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होते हुए अपना मत व्यक्त करें। लिहाजा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रस्तुत अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर